

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।

(खनिज अनुभाग)

संख्या:- 1856 / खनिज / ई-निविदा / 2025-26

दिनांक 12 / 01 / 2026

ई-निविदा आमन्त्रण हेतु सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद-सोनभद्र में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध स्वस्थानें चट्टान किस्म गिट्टी/बोल्डर (ग्रेनाइट/सैण्ड स्टोन/डोलो स्टोन) के निजी भूमि के रिक्त 10 खनन क्षेत्र को उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-23(2)(घ) में दिये गये निर्देशानुसार 10 वर्ष की अवधि के लिये ई-निविदा के माध्यम से खनन परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध घोषित करते हुए दिनांक: 16 / 02 / 2026 समय 10:00AM बजे से दिनांक: 23 / 02 / 2026 समय 5:00 PM बजे तक ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्षेत्र का विवरण:-

क्र० सं०	भूस्वामी/भूस्वामियो का नाम	तहसील/ग्राम	गाटा संख्या/खण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हे० मे)	उपखनिज का नाम	खनन योग्य अनुमानित उपखनिज की मात्रा प्रथम वर्ष हेतु (घन मी० मे)	नियमावली 2021 के अनुसूची 1 के अनुसार उपलब्ध उपखनिजों में से सर्वाधिक रायल्टी दर (रु० प्रति घन मीटर)	प्रथम वर्ष में आंकलित मात्रा की कुल रायल्टी (रुपयों में)	अर्नेस्ट मनी (कॉलम 09 में अंकित सकल धनराशि का 25 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	श्री बाबूराम पाण्डेय पुत्र श्री रघुनन्दन पाण्डेय निवासी ग्राम-बरवाटोला, तहससील दुद्धी, जनपद सोनभद्र व अन्य।	दुद्धी/बरवाटोला	203इ, 203च, 173	1.227	गिट्टी/बोल्डर (ग्रेनाइट)	42,945	160	68,71,200.00	17,17,800.00
2.	श्री मोहित अग्रवाल पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार गर्ग निवासी 4/232 राम मन्दिर कालोनी, ओबरा, सोनभद्र।	दुद्धी/बरवाटोला	996, 997, 998, 999मि०	1.366	गिट्टी/बोल्डर (ग्रेनाइट)	47,810	160	76,49,600.00	19,12,400.00
3.	श्रीमती देवमनिया पत्नी श्री धनराज निवासिनी ग्राम-बरवाटोला, तहससील दुद्धी, जनपद सोनभद्र।	दुद्धी/चपकी	1967, 1968, 1969, 1971	1.920	गिट्टी/बोल्डर (ग्रेनाइट)	67,200	160	1,07,52,000.00	26,88,000.00
4.	श्री संजय कुमार केशरी पुत्र श्री ओम प्रकाश केशरी निवासी वार्ड नं०-10, सेक्टर-8, ओबरा, सोनभद्र व अन्य।	दुद्धी/जिगनहवां	199क, 199ख, 205क, 205ख, 206क	4.947	गिट्टी/बोल्डर (ग्रेनाइट)	2,07,774	160	3,32,43,840.00	83,10,960.00
5.	श्री अनिल कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री माता प्रसाद त्रिपाठी निवासी ग्राम व पोस्ट सुकृत, तहसील राबर्दसगंज, सोनभद्र व अन्य।	राबर्दसगंज/सुकृत	21/23/1, 21/23/2	1.020	गिट्टी/बोल्डर (सैण्ड स्टोन)	35,700	110	39,27,000.00	9,81,750.00
6.	श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री पारसनाथ निवासी ग्राम व पोस्ट सुकृत,	राबर्दसगंज/सुकृत	30/45	1.644	गिट्टी/बोल्डर (सैण्ड स्टोन)	57,540	110	63,29,400.00	15,82,350.00

	तहसील राबर्टसगंज, सोनभद्र व अन्य।								
7.	श्री राम लखन यादव पुत्र फत्ते निवासी वी० आई०पी० रोड, बिल्की शारदा मन्दिर के पास, ओबरा, सोनभद्र व अन्य।	ओबरा/ बिल्की मारकुण्डी	4798ख, 4799ख, 4800ख, 4801, 4802, 4804क, 4804ग, 4805, 4866ख	1.820	गिट्टी/बोल्डर (डोलो स्टोन)	63,700	160	1,01,92,000.00	25,48,000.00
8.	श्री सिया राम पुत्र जय राम निवासी ग्राम खैरटिया, बिल्की मारकुण्डी, ओबरा, जनपद सोनभद्र व अन्य।	ओबरा/ बिल्की मारकुण्डी	5702ख, 5685क, 5689	2.108	गिट्टी/बोल्डर (डोलो स्टोन)	80,104	160	1,28,16,640.00	32,04,160.00
9.	श्री रघुनाथ दूबे पुत्र श्री सीताराम दूबे निवासी ग्राम खैरटिया, बिल्की दुर्गा मन्दिर के पास, पी०-बिल्की ओबरा, पनारी, जनपद सोनभद्र व अन्य।	ओबरा/ बिल्की मारकुण्डी	456, 457, 459	2.9080	गिट्टी/बोल्डर (डोलो स्टोन)	50,750	160	81,20,000.00	20,30,000.00
10.	श्री राकेश जायसवाल, श्री राजेश जायसवाल पुत्रगण स्व० कैलाश चन्द गुप्ता, श्री अशोक जायसवाल, सत्य प्रकाश जायसवाल, रविन्द जायसवाल, श्री अरविन्द जायसवाल पुत्र स्व० तारा शंकर जायसवाल व श्री सुरेश कुमार पुत्र स्व० कलीराम, श्री शिव प्रकाश पुत्र श्री रामजी दूबे।	ओबरा/ बिल्की मारकुण्डी	7406	1.29	गिट्टी/बोल्डर (डोलो स्टोन)	47,000	160	75,20,000	18,80,000.00

उपरोक्त क्षेत्र की सीमाएं एवं जियो कार्डिनेट्स

क्र० सं०	चौहद्दी	क्षेत्र का जियो-कार्डिनेट्स (अक्षांश-देशान्तर)	
1	2	3	
1	उत्तर- आराजी संख्या-203 का शेष भाग। दक्षिण- आराजी संख्या-163, 160 पूरब- आराजी संख्या-174, 175 पश्चिम- आराजी संख्या-138, 147	A-	23°56'38.20"N, 82°58'13.50"E
		B-	23°56'40.29"N, 82°58'13.73"E
		C-	23°56'42.20"N, 82°58'13.20"E
		D-	23°56'42.30"N, 82°58'13.30"E
		E-	23°56'44.50"N, 82°58'10.60"E
		F-	23°56'44.04"N, 82°58'9.84"E
		G-	23°56'44.97"N, 82°58'9.28"E
		H-	23°56'44.69"N, 82°58'8.71"E
		I-	23°56'41.63"N, 82°58'10.46"E
		J-	23°56'41.43"N, 82°58'10.19"E
2	उत्तर- आराजी संख्या-1001, 1000 दक्षिण- आराजी संख्या-999 का शेषभाग व आराजी संख्या-1261 पूरब- आराजी संख्या-1191 पश्चिम- आराजी संख्या-989, 988	A-	23°56'41.45"N, 82°58'47.98"E
		B-	23°56'41.20"N, 82°58'49.08"E
		C-	23°56'41.15"N, 82°58'49.82"E
		D-	23°56'41.72"N, 82°58'49.95"E

		E-	23°56'41.92"N, 82°58'49.92"E
		F-	23°56'42.43"N, 82°58'50.88"E
		G-	23°56'42.62"N, 82°58'51.95"E
		H-	23°56'41.91"N, 82°58'52.39"E
		I-	23°56'41.03"N, 82°58'52.80"E
		J-	23°56'39.82"N, 82°58'53.26"E
		K-	23°56'39.02"N, 82°58'50.09"E
		L-	23°56'37.70"N, 82°58'50.74"E
		M-	23°56'35.62"N, 82°58'51.56"E
		N-	23°56'35.50"N, 82°58'50.06"E
		O-	23°56'38.21"N, 82°58'49.77"E
		P-	23°56'38.48"N, 82°58'49.46"E
		Q-	23°56'38.69"N, 82°58'49.19"E
		R-	23°56'39.78"N, 82°58'48.96"E
		S-	23°56'40.12"N, 82°58'48.22"E
3.	उत्तर- आराजी संख्या-1958 दक्षिण- आराजी संख्या-1986, 1974 पूरब- आराजी संख्या-1966, 1986 पश्चिम- आराजी संख्या-1970, 1972	A-	23°57'30.40"N, 82°58'42.83"E
		B-	23°57'30.02"N, 82°58'44.16"E
		C-	23°57'30.40"N, 82°58'44.27"E
		D-	23°57'30.34"N, 82°58'44.80"E
		E-	23°57'30.01"N, 82°58'45.08"E
		F-	23°57'30.00"N, 82°58'45.40"E
		G-	23°57'30.40"N, 82°58'45.45"E
		H-	23°57'30.44"N, 82°58'45.87"E
		I-	23°57'31.05"N, 82°58'45.88"E
		J-	23°57'31.03"N, 82°58'48.61"E
		K-	23°57'30.76"N, 82°58'48.98"E
		L-	23°57'30.75"N, 82°58'49.57"E
		M-	23°57'31.16"N, 82°58'49.60"E
		N-	23°57'31.16"N, 82°58'49.80"E
		O-	23°57'32.05"N, 82°58'49.77"E
		P-	23°57'32.54"N, 82°58'47.40"E
		Q-	23°57'34.16"N, 82°58'47.49"E
		R-	23°57'34.54"N, 82°58'46.71"E
		S-	23°57'34.57"N, 82°58'45.77"E
		T-	23°57'34.28"N, 82°58'45.06"E
		U-	23°57'34.32"N, 82°58'44.06"E
		V-	23°57'32.22"N, 82°58'41.97"E
		W-	23°57'31.22"N, 82°58'41.30"E
		X-	23°57'31.05"N, 82°58'40.79"E
		Y-	23°57'30.86"N, 82°58'40.81"E
		Z-	23°57'30.76"N, 82°58'42.53"E
		A'-	23°57'30.56"N, 82°58'42.91"E
4.	उत्तर- आराजी संख्या-251, 199 का शेषभाग व 196, 200, 202, 203, 204 दक्षिण- आराजी संख्या-214, 219, 221, 239 व 240 पूरब- आराजी संख्या-251, 241 व 239 पश्चिम- आराजी संख्या-200, 202, 204 व 206	A-	23°56'36.75"N, 82°55'10.68"E
		B-	23°56'36.82"N, 82°55'12.28"E
		C-	23°56'37.77"N, 82°55'12.35"E
		D-	23°56'37.57"N, 82°55'15.66"E
		E-	23°56'40.05"N, 82°55'14.31"E
		F-	23°56'42.35"N, 82°55'16.57"E
		G-	23°56'42.55"N, 82°55'17.50"E
		H-	23°56'41.65"N, 82°55'18.87"E
		I-	23°56'40.33"N, 82°55'21.49"E

		J-	23°56'37.66"N, 82°55'21.63"E
		K-	23°56'36.48"N, 82°55'21.46"E
		L-	23°56'36.88"N, 82°55'19.32"E
		M-	23°56'36.99"N, 82°55'16.64"E
		N-	23°56'32.94"N, 82°55'16.05"E
		O-	23°56'33.30"N, 82°55'13.94"E
		P-	23°56'32.58"N, 82°55'12.16"E
		Q-	23°56'32.29"N, 82°55'10.37"E
5.	उत्तर- गुपुत, अक्षयवर की जमीन। दक्षिण- आराजी संख्या का शेषभाग बाद जयदेव। पूरब- राजकुमारी पत्नी रमाशंकर पश्चिम- राजेश, सुधीर व जितेन्द्र की जमीन।	A-	24°55'1.60"N, 83°1'17.50"E
		B-	24°55'4.34"N, 83°1'17.34"E
		C-	24°55'4.01"N, 83°1'22.07"E
		D-	24°55'1.36"N, 83°1'21.73"E
6.	उत्तर- आराजी संख्या-30/45 का शेषभाग। दक्षिण- आराजी संख्या-30/45 का शेषभाग बाद रास्ता। पूरब- आराजी संख्या-30/45 का शेषभाग। पश्चिम- आराजी संख्या-30/45 का शेषभाग।	A-	24°54'59.25"N, 83°02'01.08"E
		B-	24°54'59.29"N, 83°02'04.76"E
		C-	24°54'54.32"N, 83°02'04.33"E
		D-	24°54'54.35"N, 83°02'00.41"E
7.	उत्तर- आराजी संख्या- 4865, 4864 व आराजी संख्या-4866 व अन्य। दक्षिण- आराजी संख्या- 4795, 4794, व 4806 व अन्य। पूरब- आराजी संख्या-4899, 4898 व 4800 व अन्य। पश्चिम- आराजी संख्या- 4806, 4807 व 4810 व अन्य।	A-	24°28'22.26"N, 83° 0'26.44"E
		B-	24°28'23.05"N, 83° 0'27.01"E
		C-	24°28'22.81"N, 83° 0'27.55"E
		D-	24°28'24.09"N, 83° 0'28.55"E
		E-	24°28'24.11"N, 83° 0'28.89"E
		F-	24°28'24.24"N, 83° 0'29.07"E
		G-	24°28'23.35"N, 83° 0'31.34"E
		H-	24°28'23.31"N, 83° 0'31.99"E
		I-	24°28'23.70"N, 83° 0'32.19"E
		J-	24°28'23.50"N, 83° 0'32.84"E
		K-	24°28'23.27"N, 83° 0'32.87"E
		L-	24°28'23.37"N, 83° 0'33.84"E
		M-	24°28'21.76"N, 83° 0'33.13"E
		N-	24°28'20.91"N, 83° 0'32.89"E
		O-	24°28'19.50"N, 83° 0'32.62"E
		P-	24°28'19.49"N, 83° 0'31.39"E
		Q-	24°28'19.05"N, 83° 0'31.08"E
		R-	24°28'19.14"N, 83° 0'30.01"E
		S-	24°28'19.34"N, 83° 0'29.55"E
		T-	24°28'20.41"N, 83° 0'29.98"E
		U-	24°28'20.53"N, 83° 0'29.48"E
		V-	24°28'22.21"N, 83° 0'30.01"E
		W-	24°28'21.11"N, 83° 0'28.17"E
		X-	24°28'21.20"N, 83° 0'26.83"E
		Y-	24°28'21.66"N, 83° 0'26.56"E
		Z-	24°28'22.11"N, 83° 0'26.61"E
8.	उत्तर- आराजी संख्या- 5690, 5691, 5692, 5697, 5700, 5701 दक्षिण- आराजी संख्या- 5679, 5685 का जूज भाग। पूरब- आराजी संख्या- 5702, 5701 का जूज भाग। पश्चिम- आराजी संख्या- 5686, 5688, 5685 का जूज भाग।	A-	24°29'1.67"N, 82°59'47.49"E
		B-	24°29'1.54"N, 82°59'47.44"E
		C-	24°29'1.01"N, 82°59'47.46"E
		D-	24°29'0.66"N, 82°59'48.21"E
		E-	24°29'0.01"N, 82°59'49.12"E
		F-	24°28'59.48"N, 82°59'48.87"E
		G-	24°28'59.58"N, 82°59'48.01"E
		H-	24°28'59.03"N, 82°59'47.87"E
		I-	24°28'58.96"N, 82°59'48.03"E

		J-	24°28'59.22"N, 82°59'48.30"E
		K-	24°28'59.20"N, 82°59'48.74"E
		L-	24°28'59.26"N, 82°59'49.07"E
		M-	24°28'59.33"N, 82°59'49.22"E
		N-	24°28'55.40"N, 82°59'49.06"E
		O-	24°28'55.18"N, 82°59'48.32"E
		P-	24°28'55.32"N, 82°59'48.12"E
		Q-	24°28'55.96"N, 82°59'47.48"E
		R-	24°28'54.77"N, 82°59'46.16"E
		S-	24°28'56.29"N, 82°59'44.04"E
		T-	24°28'57.30"N, 82°59'44.85"E
		U-	24°28'57.86"N, 82°59'44.36"E
		V-	24°28'58.54"N, 82°59'45.01"E
		W-	24°28'58.64"N, 82°59'44.77"E
		X-	24°28'58.46"N, 82°59'44.58"E
		Y-	24°28'59.12"N, 82°59'43.98"E
		Z-	24°28'59.55"N, 82°59'44.78"E
		A'-	24°29'0.80"N, 82°59'45.93"E
		B'-	24°29'1.65"N, 82°59'46.82"E
9.	उत्तर- आराजी संख्या-454, 455 व अन्य। दक्षिण- आराजी संख्या- 491 में मार्ग। पूरब- आराजी संख्या- 490, 435, 460, 461 व अन्य। पश्चिम- आराजी संख्या- 311, 312, 313, 309 व अन्य।	A-	24°29'20.70"N, 82°59'3.80"E
		B-	24°29'20.94"N, 82°59'5.91"E
		C-	24°29'20.29"N, 82°59'6.31"E
		D-	24°29'20.01"N, 82°59'6.61"E
		E-	24°29'19.36"N, 82°59'6.48"E
		F-	24°29'18.95"N, 82°59'8.37"E
		G-	24°29'16.20"N, 82°59'7.96"E
		H-	24°29'15.40"N, 82°59'7.83"E
		I-	24°29'16.68"N, 82°59'5.63"E
		J-	24°29'17.45"N, 82°59'5.88"E
		K-	24°29'17.53"N, 82°59'5.72"E
		L-	24°29'16.77"N, 82°59'5.40"E
		M-	24°29'18.01"N, 82°59'3.22"E
10.	उत्तर- आराजी संख्या-7407क की सीमा। दक्षिण- आराजी संख्या-7536ग मि० की सीमा। पूरब- आराजी संख्या-7407मी० की सीमा। पश्चिम- आराजी संख्या-7405 की सीमा।	A	24°27'54.89"N, 83°2'1.37"E
		B	24°27'56.71"N, 83°2'2.76"E
		C	24°27'54.56"N, 83°2'7.36"E
		D	24°27'52.37"N, 83°2'7.38"E
		E	24°27'53.30"N, 83°2'4.88"E

2. कोई व्यक्ति/फर्म/निकाय जो भारतीय नागरिक हो, जिलाधिकारी, सोनभद्र को सम्बोधित ई-निविदा संलग्न प्रारूप-2 पर प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित बातें होंगी:-
- विज्ञापित संख्या व दिनांक: जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो।
 - विज्ञापित में क्षेत्र का क्रमांक।
 - निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई-मेल एवं मोबाइल नं० (पता के प्रमाण स्वरूप व्यक्ति के लिये आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र तथा फर्म/कम्पनी/निकाय के लिये उनका पंजीकरण का विवरण)
 - क्या आवेदक भूस्वामी है। (हाँ/नहीं)
 - उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिये उसने निविदा प्रस्तुत की है, जिसमें निम्न हो:-
भूस्वामी का नाम :-
उपखनिज का नाम :-

तहसील का नाम :-

खनन क्षेत्र का नाम/ग्राम :-

गाटा संख्या/खण्ड संख्या :-

क्षेत्रफल (हेक्टर में)

विज्ञप्ति में दी गयी खनन योग्य अनुमानित खनिज की मात्रा :-

- च. ई-निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रू० 15,000/- के जमा का चालान।
- छ. प्री बिड अर्नेस्ट मनी का ड्राफ्ट (जिसकी गणना क्षेत्र में आंकलित खनन योग्य मात्रा एवं उप खनिज की रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा)
- ज. खनिज के लिये प्रति घनमीटर के लिये दी जाने वाली ई-निविदा की दर :- (ई-निविदा की दर उस खनिज के लिये नियमावली, 2021 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर से कम नहीं होगी।)
- झ. प्रदेश में इमारती पत्थर सैण्ड स्टोन, जिसमें पटिया/गिट्टी/बोल्डर आदि मिश्रित रूप में पाये जाते हैं, के लिए बोल्डर एवं गिट्टी में से अधिक रायल्टी दर वाले उपखनिज गिट्टी की रायल्टी की दर को आधार मूल्य मानकर ई निविदा की कार्यवाही की जायेगी तथा सैण्ड स्टोन डायमेंशनल (पटिया, चौका, ब्लॉक आदि) की ई-निविदा में स्वीकृत अधिकतम रायल्टी दर कम होने की स्थिति में नियमावली, 2021 की अनुसूची-1 में निर्धारित रायल्टी दर देयता हेतु प्रभावी होगा।
- ट. जिलाधिकारी, या ऐसे अधिकारी द्वारा जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र परन्तु जहां आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/परिहारधारक न रहा हो, वहाँ इस आशय का शपथ पत्र।
- ठ. भू-स्वामी को छोड़कर अन्य व्यक्ति/फर्म को उस जिले के जिलाधिकारी जहाँ वह स्थायी रूप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण पत्र।
- ड. भू-स्वामी को छोड़कर अन्य व्यक्ति/फर्म को ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र या ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र के साथ बैंक प्रत्याभूति, जो ई-निविदा की धनराशि के 25 प्रतिशत से कम न हो।
3. बिन्दु संख्या-2 में उल्लिखित वांछित अभिलेखों तथा ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई-टेण्डर के साथ अपलोड किया जाना होगा।
4. यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या-2 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई-निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई-निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों की मूल प्रति/प्रमाणित प्रति तथा ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जमा करना अनिवार्य होगा।
5. ई-निविदा आमंत्रण की अवधि के अन्दर ई-टेण्डर पोर्टल <http://etender.up.nic.in> पर निविदाकार के द्वारा अपनी ई-निविदा अपलोड की जायेगी।
6. यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि० लखनऊ को प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में ई-टेण्डरिंग लागू किये जाने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नलिखित कार्यवाही करनी होगी:-
- (क) ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टिफाइंग एजेन्सी से डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।
- (ख) ई-टेण्डरिंग पोर्टल पर विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा अपनी कम्पनी/फर्म का रजिस्ट्रेशन यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से कराया जायेगा।
- (ग) विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स ई-टेण्डर पोर्टल पर प्रशिक्षण यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि० से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

7. निविदाकार द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन ई-टेंडरिंग पोर्टल पर करा लेने तथा डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने के उपरान्त अपनी निविदा ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निम्नांकित कार्यवाही की जानी होगी:-
- i. सर्वप्रथम निविदाकार द्वारा ई-टेंडर पोर्टल पर लॉगिन आईडी0 (Login ID) एवं पासवर्ड (Password) के द्वारा ई-टेंडर पोर्टल में प्रवेश किया जायेगा।
 - ii. तत्पश्चात निविदाकार द्वारा डिजिटल सिग्नेचर का सत्यापन (Verification) ई-टेंडर पोर्टल पर किया जाना होगा।
 - iii. निविदाकार द्वारा सर्च एक्टिव टेंडर (Search Active Tender) पर क्लिक कर अपनी रूचि की निविदा का चयन कर उक्त निविदा पर प्रतिभाग (Participate) करने हेतु क्लिक करना होगा।
 - iv. निविदाकार द्वारा कम्प्यूटर स्क्रीन पर ही निविदा सम्बन्धित सभी जानकारी सीधे देखा जा सकता है अथवा उक्त निविदा को डाउनलोड कर उसके प्रिन्ट आउट द्वारा विवरण को पढ़ा जा सकता है।
 - v. निविदाकार द्वारा निविदा के समुचित अध्ययन किये जाने के उपरान्त अपनी निविदा का ई-टेंडर पर अपलोड करने के पूर्व प्रस्तर-2 में दिये गये विवरण के अनुसार विभिन्न अभिलेखों, दस्तावेजों की स्कैण्ड कापी कर पी०डी०एफ० फाईल बनायी जानी होगी।
 - vi. ई-टेंडर डाक्यूमेंट्स की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी वांछित दस्तावेज की पी०डी०एफ० फाईल तैयार हो जाने के पश्चात निविदाकार द्वारा "पे ऑफ लाईन" (Pay Offline) विकल्प पर क्लिक करने पर एग्रीमेंट (Agreement) आईकन के कम्प्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने पर निविदाकार द्वारा आई एग्री-सबमिट (IAgree submit) पर क्लिक करना होगा।
 - vii. तत्पश्चात निविदाकार द्वारा प्री बिड अर्नेस्ट मनी से सम्बन्धित कालम में जमा धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का नम्बर, बैंक का नाम इत्यादि विवरण भरना होगा। भुगतान के विवरण की प्रविष्टियों भरने के बाद उसको Save कर लिया जायेगा।
 - viii. निविदाकार द्वारा अपनी निविदा को अपलोड करने हेतु कम्प्यूटर क्लिक करना होगा जिससे कि प्री बिड अर्नेस्ट मनी को टेंडर के साथ जमा किये जाने से सम्बन्धित कार्य पूर्ण माने जायेंगे।
 - ix. यदि निविदाकार को ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा सबमिट की गई तकनीकी एवं वित्तीय बिड में कोई त्रुटि है अथवा उनके द्वारा पूर्व में जमा की गई निविदा/बिड्स में संशोधन करना वांछनीय है, तो माई बिड्स (My Bids) आईकन में क्लिक कर पुनः पूर्व प्रक्रिया को अपनाते हुए ई-निविदा रि-बिड सबमिशन (Rebid submission) पर क्लिक कर पुनः सबमिट (Submit) कर सकते हैं। निविदाकार द्वारा यह कार्य टेंडर जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि और समय से पूर्व किया जा सकता है। अन्तिम बार प्रस्तुत की गई निविदा (Last submit Bid) ही ई-टेंडर पोर्टल पर अनुमन्य होगी। पूर्व में प्रस्तुत की गई बिड्स अनुमन्य नहीं होगी।
8. ई-टेंडर साईट का उपयोग करने के लिए Pentium-IV अथवा उच्च विशिष्टियों युक्त कम्प्यूटर तथा ब्रॉडबैंड इण्टरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी। कम्प्यूटर लाइनेक्स, विण्डोज एक्सपी सर्विस पैक-3 या उच्च आपरेटिंग सिस्टम एण्टीवायरस तथा इण्टरनेट एक्सप्लोरर वर्जन 7.0 या अधिक, के साथ होना चाहिए। इसके लिए इण्टरनेट केन्द्र की सेवायें ली जा सकती हैं।
9. जिला स्तर पर ई-टेंडरिंग से सम्बन्धित टेंडर्स अपलोड किये जाने, टेंडर्स खोले जाने इत्यादि कार्य हेतु जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (DIO-NIC) से सहायता ली जा सकती है तथा अन्य किसी जानकारी/स्पष्टीकरण/प्रशिक्षण हेतु यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि० 10, अशोक मार्ग, लखनऊ से भी सम्पर्क किया जा सकता है।
10. भूस्वामी/भूस्वामियों द्वारा क्षेत्र की ई-निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने पर उच्चतम बोली को संज्ञान में लेकर 07 (सात) कार्यदिवस के भीतर सम्बन्धित खनन क्षेत्र पर प्रादेशिक, अधिकारिता रखने वाले

- जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम बोली से अधिक हो प्रस्तुत करने का उसे/उन्हें एक अवसर प्राप्त होगा। ई-निविदा प्रक्रिया में भूस्वामी को भाग लेना आवश्यक नहीं है, परन्तु भूस्वामी/भूस्वामियों के पक्ष में खनन परिहार स्वीकृत होने की दशा में ई-निविदा के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या 02 में दी गयी समस्त शर्तों को पूर्ण करना आवश्यक होगा।
11. विज्ञप्ति के अनुसार सात कार्य दिवसों में प्राप्त निविदाओं को दिनांक 24/02/2026 को 11:30 AM बजे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के दो सदस्यों के डिजिटल सिग्नेचर द्वारा खोला जायेगा।
 12. भू-स्वामी द्वारा प्रथम इनकार के अधिकार का उपयोग नहीं करने पर उच्चतम बिडकर्ता के पक्ष में परिहार स्वीकृत किया जायेगा। उच्चतम बिड की धनराशि का 20 प्रतिशत (प्रत्येक घनमीटर हेतु) चयनित आवेदक द्वारा भू-स्वामी/स्वामियों को प्रतिकार के रूप में दिया जायेगा जो राज्य सरकार को संदेय धनराशि के अतिरिक्त होगी। भू-स्वामी/स्वामियों को देय ऐसी धनराशि प्रत्येक समय राज्य सरकार के भुगतान के साथ भूस्वामी के बचत खाता जो कि अनुसूचित बैंक में हो, में किया जाना अनिवार्य होगा।
 13. सफल निविदाकर्ता/भूस्वामी का चयन होने के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर उसे जिलाधिकारी द्वारा खनन परिहार हेतु सहमति पत्र (Letter of Intent) जारी किया जायेगा। उच्चतम निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।
 14. लेटर आफ इन्टेंट निर्गत होने के 03 कार्यदिवस में ई-निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत प्रतिभूति तथा 25 प्रतिशत प्रथम किश्त के रूप में जिसमें अर्नेस्टमनी की धनराशि समायोजित की जायेगी। सफल निविदाकार अथवा भूस्वामी द्वारा उक्त धनराशि जमा नहीं करने पर जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन पर विचार योग्य नहीं होगा। खनन पट्टे पर प्रथम 10 वर्षों के लिए संदेय धनराशि वाली दर अथवा समय-समय पर नियमावली में विनिर्दिष्ट रायल्टी दर, जो भी अधिक हो, के आधार पर होगी। यदि किसी अन्य प्रयोजन के लिए आवश्यक न हो तो ऐसी प्रतिभूति धनराशि परिहार अवधि की समाप्ति उपरान्त एक माह के अन्दर परिहारधारक को वापस कर दी जायेगी।
 15. जिलाधिकारी को कोई कारण बताए बिना समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।
 16. खनन क्षेत्र अथवा अन्य किसी जानकारी के लिए सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय, के खनन अनुभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।
 17. सफल निविदाकार/ भूस्वामी परिहार हेतु इस आशय पत्र प्राप्त होने के उपरान्त वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक: 14.09.2006 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। सक्षम अधिकारी के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय खनन योग्य आंकलित मात्रा हेतु माइनिंग प्लान/स्कीम बनाते हुए आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।
 18. यदि पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में दी गयी खनिज निकासी की मात्रा क्षेत्र के लिये आंकलित खनन योग्य भण्डार से भिन्न होती है, तब पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में अंकित मात्रा ही परिहार अवधि के लिए क्षेत्र से खनिज की निकासी हेतु अधिकतम मात्रा होगी तथा उस मात्रा के आधार पर ई-निविदा में दी गई दर को गुणा कर वास्तविक देय धनराशि की गणना की जायेगी।
 19. पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त अनुबन्ध निष्पादन के पश्चात् ही खनन कार्य प्रारम्भ होगा।
 20. परिहारधारक द्वारा मा० न्यायालय एवं मा० राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश तथा उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

21. परिहारधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी०सी०एस०, जिला खनिज फाउण्डेशन (डी०एम०एफ०) आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।
22. खनन पट्टा क्षेत्र हेतु *Air (Prevention and Control of Pollution) 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981* में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से CTE/CTO प्राप्त कर कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके पश्चात् ही खनन/परिवहन संक्रियायें प्रारम्भ की जायेगी।
23. खनन पट्टा क्षेत्र के आस-पास अवैध खनन होने पर खनन पट्टाधारक को तत्काल कार्यालय में उसकी सूचना दिया जाना होगा, ऐसा न करने पर उक्त अवैध खनन, पट्टाधारक द्वारा किया गया माना जायेगा।
24. परिहारधारक द्वारा मा० न्यायालय एवं मा० राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश तथा उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
25. स्थानीय स्थिति तथा परिवेश को ध्यान में रखते हुये अन्य शर्तें जो जिलाधिकारी द्वारा उचित समझी जाये, खनन पट्टा विलेख में सम्मिलित की जा सकेंगी।

(बद्री नाथ सिंह)
जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

पत्रांक व तद दिनांक:-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, खनिज भवन, लखनऊ।
3. ई-निविदा संचालन करने वाली समिति।
4. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि० अशोक मार्ग, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, राबट्सगंज, दुद्धी, ओबरा, घोरावल को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
7. जिला सूचना अधिकारी, सोनभद्र को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
8. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सोनभद्र को जनपद सोनभद्र की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. नजारत, कलेक्ट्रेट, सोनभद्र को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
10. खनिज कार्यालय, सोनभद्र में नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

A
जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।

(खनिज अनुभाग)

संख्या-1966 / खनिज / ई-निविदा / 2025-26

दिनांक 23/01/2026

शुद्धि पत्र

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय की ई-निविदा आमन्त्रण हेतु सूचना संख्या-1856/खनिज/ई-निविदा/2025-26 दिनांक 12.01.2026 द्वारा गिट्टी/बोल्डर (ग्रेनाइट/सैण्ड स्टोन/डोलो स्टोन) के 10 क्षेत्रों को उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-23(2)(घ) के अन्तर्गत उपलब्ध घोषित किया गया है, जिसमें क्रम संख्या-8, 9 व 10 पर उल्लिखित क्षेत्र के सम्बन्ध में विवरण को निम्नवत् पढ़ा जाय।

क्र० सं०	भूस्वामी/भूस्वामियों का नाम	तहसील/ग्राम	गाटा संख्या/खण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	उपखनिज का नाम	खनन योग्य अनुमानित उपखनिज की मात्रा प्रथम वर्ष हेतु (घन मी० में)	नियमावली 2021 के अनुसूची 1 के अनुसार उपलब्ध उपखनिजों में से सर्वाधिक रायल्टी दर (₹० प्रति घन मीटर)	प्रथम वर्ष में आंकलित मात्रा की कुल रायल्टी (रुपयों में)	अर्नस्ट मन्त्री (कॉलम 09 में अंकित सकल घनराशि का 25 प्रतिशत) (रुपयों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	श्री सिया राम पुत्र जय राम, श्री कामता प्रसाद जायसवाल, श्री रामजी जायसवाल पुत्रगण श्री शिवभूत व श्रीमती शान्ति देवी पत्नी स्व० विजय बहापुर जायसवाल निवासीगण ग्राम खैरटिया, विल्ली मारकुण्डी, जनपद सोनभद्र व अन्य।	ओबरा/ विल्ली मारकुण्डी	5702ख, 5685क, 5689	2 108	गिट्टी/ बोल्डर (डोलो स्टोन)	80,104	160	1,28,16,640.00	32,04,160.00
9.	श्री देवराज पुत्र श्री दादूलाल निवासी ग्राम-विल्ली मारकुण्डी, जनपद सोनभद्र व अन्य।	ओबरा/ विल्ली मारकुण्डी	456, 457, 459	1,450	गिट्टी/ बोल्डर (डोलो स्टोन)	50,750	160	81,20,000.00	20,30,000.00
10.	श्री राकेश जायसवाल, श्री राजेश जायसवाल पुत्रगण स्व० कैलाश चन्द गुप्ता, श्री अशोक जायसवाल, श्री सत्य प्रकाश जायसवाल, श्री रविन्द जायसवाल, श्री अरविन्द जायसवाल पुत्र स्व० नारा शंकर जायसवाल निवासी ग्राम-विल्ली मारकुण्डी, तहसील-ओबरा, जनपद सोनभद्र।	ओबरा/ विल्ली मारकुण्डी	7406	1 29	गिट्टी/ बोल्डर (डोलो स्टोन)	47,000	160	75,20,000.00	18,80,000.00

विज्ञप्ति दिनांक 12.01.2026 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।


 (बद्री नाथ सिंह)
 जिलाधिकारी,
 सोनभद्र।

पत्रांक व तदिनांक:

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, खनिज भवन, लखनऊ।
3. ई-निविदा संचालन करने वाली समिति।
4. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि० अशोक मार्ग, लखनऊ।

5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, राबट्सगंज, दुद्धी, ओबरा, घोरावल को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
7. जिला सूचना अधिकारी, सोनभद्र को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
8. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सोनभद्र को जनपद सोनभद्र की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. नजारत, कलेक्ट्रेट, सोनभद्र को नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु।
10. खनिज कार्यालय, सोनभद्र में नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु।


जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक-~~8341~~ / खनिज / 2026

दिनांक: ०९ / ०२ / 2026

विषय:- रायल्टी की संशोधित दर के प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या-~~१३५२~~ / खनिज / 2026 दिनांक ०९ / ०२ / 2026 रायल्टी की दर में संशोधन के सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप जारी की गयी है।

अतः कार्यालय ज्ञाप की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि जनपद-सोनभद्र में प्रचलित 02 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने तथा प्रकाशन के उपरान्त इसकी प्रति खनिज कार्यालय, सोनभद्र को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,


(बद्री नाथ सिंह)
जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

पत्रांक व तद दिनांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, खनिज भवन, लखनऊ।

/
जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 2342/खनिज/2026

दिनांक 09/02/2026

कार्यालय ज्ञाप

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की अधिसूचना संख्या-I/1225960/2026 दिनांक 04.02.2026 द्वारा उप खनिजों के रायल्टी दर में संशोधन किया गया है, जो निम्नवत् है:-

स्तम्भ-एक विद्यमान अनुसूची प्रथम अनुसूची स्वामित्व (नियम-21 देखिये)			स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची प्रथम अनुसूची स्वामित्व (नियम-21 देखें)	
क्र० सं०	खनिज	स्वामित्व की दर	खनिज	स्वामित्व की दर
1.	चूना पत्थर	रु० 150.00 प्रति टन या 275.00 प्रति घन मी०	निकाल दिया गया	निकाल दिया गया।
2.	मार्बल या मार्बल चिप्स (संगमरमर)	रु० 206.00 प्रति टन या 405.00 प्रति घन मी०	मार्बल या मार्बल चिप्स (संगमरमर)	रु० 206.00 प्रति टन या 405.00 प्रति घन मी०
3.	ईंट बनाने की मिट्टी	शून्य	ईंट बनाने की मिट्टी	शून्य
4.	ईमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन)	-	ईमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन)	-
(i)	ग्रेनाइट (साइज्ड डायमेन्शनल स्टोन)		(i) ग्रेनाइट (साइज्ड डायमेन्शनल स्टोन)	
	(क) एक मीटर या ऊपर के साइज के	रु० 5000.00 प्रति घन मी०	(क) एक मीटर या ऊपर के साइज के	रु० 6000.00 प्रति घन मी०
	(ख) एक मीटर या नीचे के साइज के	रु० 3000.00 प्रति घन मी०	(क) एक मीटर या ऊपर के साइज के	रु० 4000.00 प्रति घन मी०
(ii)	स्लैब्स और अल्शर सहित साइज्ड डायमेन्शनल स्टोन (सैण्ड क्वार्टजाइट)	रु० 650.00 प्रति घन मी०	स्लैब्स और अल्शर सहित साइज्ड डायमेन्शनल स्टोन (सैण्ड क्वार्टजाइट)	रु० 850.00 प्रति घन मी०
(iii)	मिल स्टोन व हाथ चक्की (सैण्ड स्टोन, क्वार्टजाइट)	रु० 600.00 प्रति घन मी०	मिल स्टोन व हाथ चक्की (सैण्ड स्टोन, क्वार्टजाइट)	रु० 600.00 प्रति घन मी०
(iv)	खण्डास और बोल्टर		(iv) खण्डास और बोल्टर	
	(क) ग्रेनाइट व डोलो स्टोन (25cm× 25cm× 25cm)	रु० 125.00 प्रति घन मीटर	(क) ग्रेनाइट व डोलो स्टोन (25cm× 25cm× 25cm)	रु० 125.00 प्रति घन मीटर
	(ख) सैण्ड स्टोन और क्वार्टजाइट (25cm× 25cm× 25cm)	रु० 100.00 घन मीटर	(ख) सैण्ड स्टोन और क्वार्टजाइट (25cm× 25cm× 25cm)	रु० 100.00 घन मीटर
(v)	बैलास्ट (गिट्टी)		(v) बैलास्ट (गिट्टी)	
	(क) ग्रेनाइट और डोलो स्टोन	रु० 160 प्रति घन मी०	(क) ग्रेनाइट और डोलो स्टोन	रु० 165 प्रति घन मी०
	(ख) सैण्ड स्टोन और क्वार्टजाइट	रु० 110 प्रति घन मी०	(ख) सैण्ड स्टोन और क्वार्टजाइट	रु० 140 प्रति घन मी०
	(ग) स्टोन डस्ट	रु० 100 प्रति घन मी०	(ग) स्टोन डस्ट	रु० 100 प्रति घन मी०
5.	मौरम		5. मौरम	
	(क) नदी तल में उपलब्ध	रु० 150.00 प्रति घन मी०	(क) नदी तल में उपलब्ध	रु० 190.00 प्रति घन मी०

(2)

	(ख) पहाड़ों के क्षरण के फलस्वरूप उत्पन्न लाल मोरम	रु0 75.00 प्रति घन मी0	(ख) पहाड़ों के क्षरण के फलस्वरूप उत्पन्न लाल मोरम	रु0 100.00 प्रति घन मी0
6.	साधारण बालू (विहित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले बालू से भिन्न)		6. साधारण बालू (विहित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले बालू से भिन्न)	
	(क) प्रथम श्रेणी, (अनुसूची-दो में उल्लिखित जिलों में उपलब्ध)	रु0 65.00 प्रति घन मी0	(क) प्रथम श्रेणी, (अनुसूची-दो में उल्लिखित जिलों में उपलब्ध)	रु0 80.00 प्रति घन मी0
	(ख) द्वितीय श्रेणी, (अनुसूची-दो में उल्लिखित जिलों में उपलब्ध)	रु0 55.00 प्रति घन मी0	(क) प्रथम श्रेणी, (अनुसूची-दो में उल्लिखित जिलों में उपलब्ध)	रु0 70.00 प्रति घन मी0
7.	बजरी (सिंगल)	रु0 110.00 प्रति घन मी0	7. (i) बजरी (सिंगल) (ii) बालू/बजरी/ बोल्टर मिश्रित अवस्था में (आर0बी0एम0)	रु0 110.00 प्रति घन मी0 रु0 160.00 प्रति घन मी0
8.	साधारण मृदा (आरडिनरी क्ले) अथवा साधारण मिट्टी (आरडिनरी अर्थ)	शून्य	8. साधारण मृदा (आरडिनरी क्ले) अथवा साधारण मिट्टी (आरडिनरी अर्थ)	शून्य
9.	पायरोफिलाइट	रु0 300.00 प्रति टन	9. पायरोफिलाइट	रु0 340.00 प्रति टन
10.	डायस्पोर	रु0 500.00 प्रति टन	10. डायस्पोर	रु0 525.00 प्रति टन
11.	सिलिका सैण्ड	रु0 100.00 प्रति टन	11. सिलिका सैण्ड	रु0 150.00 प्रति टन
12.	चाइना क्ले	खान पर खनिमुख मूल्य का 12 प्रतिशत	12. चाइना क्ले	खान पर खनिमुख मूल्य का 12 प्रतिशत
13.	कैलसाइट	खान पर खनिमुख मूल्य का 12 प्रतिशत	13. कैलसाइट	खान पर खनिमुख मूल्य का 12 प्रतिशत
14.	क्वार्टज	रु0 100.00 प्रति टन	निकाल दिया गया।	निकाल दिया गया।
15.	कोई अन्य उप खनिज, जिसके लिये स्वामित्व की दर विनिर्दिष्ट नहीं है।	खान पर बिक्री मूल्य का 10 प्रतिशत	15. कोई अन्य उप खनिज, जिसके लिये स्वामित्व की दर विनिर्दिष्ट नहीं है।	खान पर बिक्री मूल्य का 10 प्रतिशत

अतः भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की अधिसूचना संख्या-1/1225960/2026 दिनांक 04.02.2026 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद-सोनभद्र में स्वीकृत/संचालित खनन पट्टों एवं आशय पत्र निर्गत/विज्ञापित क्षेत्रों, जिनमें अधिसूचना दिनांक 04.02.2026 से कम रायल्टी दर उल्लिखित है, उनमें अधिसूचना दिनांक 04.02.2026 में उल्लिखित रायल्टी दर प्रभावी होगा।

(बद्री नाथ सिंह)
जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

(3)

2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
3. आयुक्त, विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
4. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र।
5. ज्येष्ठ खान अधिकारी, सोनभद्र।
6. उपजिलाधिकारी, राबर्ट्सगंज/घोरावल/दुद्धी/ओबरा को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किये जाने हेतु।
7. जिला सूचना अधिकारी, सोनभद्र को निःशुल्क प्रचार-प्रसार हेतु।
8. नोटिस बोर्ड, जिलाधिकारी कार्यालय/कवैरी कार्यालय, सोनभद्र।


जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।

(खनिज अनुभाग)

संख्या:-2364 / खनिज / ई-निविदा / 2025-26

दिनांक 12 / 02 / 2026

शुद्धि पत्र

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय की ई-निविदा आमन्त्रण हेतु सूचना संख्या-1856 / खनिज / ई-निविदा / 2025-26 दिनांक 12.01.2026 द्वारा गिट्टी / बोल्टर (ग्रेनाइट / सैण्ड स्टोन / डोलो स्टोन) के 10 क्षेत्रों को उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-23(2) (घ) के अन्तर्गत उपलब्ध घोषित किया गया है। भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग-1, उपरो शासन, लखनऊ की अधिसूचना संख्या-1/1225960/2026 दिनांक 04.02.2026 द्वारा उप खनिजों के रायल्टी दर में संशोधन किया गया है, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय, सोनभद्र के पत्र संख्या-2342 / खनिज / 2026 दिनांक 09.02.2026 द्वारा कार्यालय ज्ञाप जारी किया गया। कार्यालय ज्ञाप दिनांक 09.02.2026 के क्रम में विज्ञप्ति दिनांक 12.01.2026 एवं शुद्धि पत्र दिनांक 23.01.2026 में उल्लिखित क्षेत्र के विवरण के कॉलम-8 (नियमावली 2021 के अनुसूची 1 के अनुसार उपलब्ध उपखनिजों में से सर्वाधिक रायल्टी दर (रु० प्रति घन मीटर)), कॉलम-9 (प्रथम वर्ष में आंकलित मात्रा की कुल रायल्टी) एवं कॉलम-10 (अर्नेस्ट मनी (कॉलम 09 में अंकित सकल धनराशि का 25 प्रतिशत)) को निम्नवत् पढ़ा जाय:-

क्षेत्र का विवरण:-

क्र० सं०	भूस्वामी/भूस्वामियों का नाम	तहसील/ग्राम	गाटा संख्या/खण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	उपखनिज का नाम	खनन योग्य अनुमानित उपखनिज की मात्रा प्रथम वर्ष हेतु (घन मी० में)	नियमावली 2021 के अनुसूची 1 के अनुसार उपलब्ध उपखनिजों में से सर्वाधिक रायल्टी दर (रु० प्रति घन मीटर)	प्रथम वर्ष में आंकलित मात्रा की कुल रायल्टी (रुपयों में)	अर्नेस्ट मनी (कॉलम 09 में अंकित सकल धनराशि का 25 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	श्री बाबूराम पाण्डेय पुत्र श्री रघुनन्दन पाण्डेय निवासी ग्राम-बरवाटोला, तहससील दुद्धी, जनपद सोनभद्र व अन्य।	दुद्धी/बरवाटोला	203इ, 203च, 173	1.227	गिट्टी/बोल्टर (ग्रेनाइट)	42,945	165	70,85,925.00	17,71,481.00
2.	श्री मोहित अग्रवाल पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार गर्ग निवासी 4/232 राम मन्दिर कालोनी, ओबरा, सोनभद्र।	दुद्धी/बरवाटोला	996, 997, 998, 999मि०	1.366	गिट्टी/बोल्टर (ग्रेनाइट)	47,810	165	78,88,650.00	19,72,163.00
3.	श्रीमती देवमनिया पत्नी श्री धनराज निवासिनी ग्राम-बरवाटोला, तहससील दुद्धी, जनपद सोनभद्र।	दुद्धी/चपकी	1967, 1968, 1969, 1971	1.920	गिट्टी/बोल्टर (ग्रेनाइट)	67,200	165	1,10,88,000.00	27,72,000
4.	श्री संजय कुमार केशरी पुत्र श्री ओम प्रकाश केशरी निवासी वार्ड नं०-10, सेक्टर-8, ओबरा, सोनभद्र व अन्य।	दुद्धी/जिगनहवां	199क, 199ख, 205क, 205ख, 206क	4.947	गिट्टी/बोल्टर (ग्रेनाइट)	2,07,774	165	3,42,82,710.00	85,70,678
5.	श्री अनिल कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री माता प्रसाद त्रिपाठी निवासी ग्राम व पोस्ट सुकृत, तहसील राबर्ट्सगंज, सोनभद्र व अन्य।	राबर्ट्सगंज/सुकृत	21/23/1, 21/23/2	1.020	गिट्टी/बोल्टर (सैण्ड स्टोन)	35,700	140	49,98,000.00	12,49,500
6.	श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री पारसनाथ निवासी ग्राम व पोस्ट सुकृत, तहसील राबर्ट्सगंज, सोनभद्र व अन्य।	राबर्ट्सगंज/सुकृत	30/45	1.644	गिट्टी/बोल्टर (सैण्ड स्टोन)	57,540	140	80,55,600.00	20,13,900

V

7.	श्री राम लखन यादव पुत्र फत्ते निवासी वी० आई०पी० रोड, बिल्ली शारदा मन्दिर के पास, ओबरा, सोनभद्र व अन्य।	ओबरा/ बिल्ली मारकुण्डी	4798ख, 4799ख, 4800ख, 4801, 4802, 4804क, 4804ग, 4805, 4866ख	1.820	गिट्टी/बोल्डर (डोलो स्टोन)	63,700	165	1,05,10,500.00	26,27,625
8.	श्री सिया राम पुत्र जय राम, श्री कामता प्रसाद जायसवाल, श्री रामजी जायसवाल पुत्रगण श्री शिवमूरत व श्रीमती शान्ति देवी पत्नी स्व० विजय बहादुर जायसवाल निवासीगण ग्राम खैरटिया, बिल्ली मारकुण्डी, जनपद सोनभद्र व अन्य।	ओबरा/ बिल्ली मारकुण्डी	5702ख, 5685क, 5689	2.108	गिट्टी/ बोल्डर (डोलो स्टोन)	80,104	165	1,32,17,160.00	33,04,290
9.	श्री देवराज पुत्र श्री दादूलाल निवासी ग्राम-बिल्ली मारकुण्डी, जनपद सोनभद्र व अन्य।	ओबरा/ बिल्ली मारकुण्डी	456, 457, 459	1.450	गिट्टी/ बोल्डर (डोलो स्टोन)	50,750	165	83,73,750.00	20,93,438
10.	श्री राकेश जायसवाल, श्री राजेश जायसवाल पुत्रगण स्व० कैलाश चन्द्र गुप्ता, श्री अशोक जायसवाल, श्री सत्य प्रकाश जायसवाल, श्री रविन्द जायसवाल, श्री अरविन्द जायसवाल पुत्र स्व० तारा शंकर जायसवाल निवासी ग्राम-बिल्ली मारकुण्डी, तहसील-ओबरा, जनपद सोनभद्र।	ओबरा/ बिल्ली मारकुण्डी	7406	1.29	गिट्टी/ बोल्डर (डोलो स्टोन)	47,000	165	77,55,000.00	19,38,750

विज्ञापित दिनांक 12.01.2026 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(कमल कश्यप)
ज्येष्ठ खान अधिकारी,
सोनभद्र।

पत्रांक व तदिनांक:

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, खनिज भवन, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सोनभद्र।
4. ई-निविदा संचालन करने वाली समिति।
5. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि० अशोक मार्ग, लखनऊ।
6. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
7. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, राबट्सगंज, दुद्धी, ओबरा, घोरावल को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
8. जिला सूचना अधिकारी, सोनभद्र को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
9. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सोनभद्र को जनपद सोनभद्र की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. नजारत, कलेक्ट्रेट, सोनभद्र को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
11. खनिज कार्यालय, सोनभद्र में नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

ज्येष्ठ खान अधिकारी,
सोनभद्र।